

CHAKULIA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 1019402230424104741

Date : 23-04-2024

पभावी : प्रथम तिमाही 2024-2025

श्री/श्रीमती/सुश्री PRADIP KUMAR BAKREWALA S/O RAM GOPAL BAKREWALA,
मोहल्ला KHATA NO.-135, PLOT NO.-366,367,368 NAYABAZAR CHAKULIA CHAKULIA
chakulia , 832301
7250917617

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0090000052000X2 वाडे सं 9 हुआ है. आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0 - रु निर्धारित किया गया है। इसके अनुरार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	736.00
2.	जल कर	0.00
3.	शांचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		736.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. नगरपालिका वेबसाइट CHAKULIA NAGAR PANCHAYAT Website: suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमानुसार कडीका 13 2 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा।
3. पट्टागत हो करण होने पर जल संरक्षण संरचना लगा कर नियम को सूचित कर तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. पत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय धृति को निदिष्ट समायावधि (पत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गृह घोषणा के आधार पर की जा रही है। इस स्व-निर्धारण सह-घोषणा पत्र की रशानोय जाच यथा समय नियम कर संकलन के अनुसार गलत पाए जाने पर नियमानुसार कडीका 13 2 के अनुरार निर्धारित शर्तित (fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. CHAKULIA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन इमारतों/ढाँचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मारिक्तों/दखलकारों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होलिंग नंओ का आखिरी अंक 5/67/18 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Pradipkumar Bakrewala